तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
5/4/22	वकुलाय उप०। बहस हेतु अवसर चाहा। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 12/4/2022 को पेश हो।
12/4	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. के अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/4/22
20/4/2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। वकुलाय उभय पक्ष ने दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेज व शपथ पत्र पेश किये। शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकुलाय उभय पक्षों की सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 9/5/2022 को पेश हो।
09/05/2022	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली मे बहस उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की मूल खातेदार नोजी पत्नी गंगल्या थी, प्रार्थीया का पिता नारायण नोजी का गोद पुत्र था तथा प्रार्थीया अपने पिता नारायण की एक मात्र वारिस है। इस संबध में प्रार्थी पक्ष की ओर से 10 गवाहान के शपथ पत्र पेश किये हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के पिता नारायण बतौर उप कृषक दर्ज रहा है। जिसके संबध में गिरदावरियों की प्रति प्रस्तुत की हैं।

साथ ही न्यायालय हाजा में विचाराधीन अन्य वाद पान्नूराम बनाम ग्यारसी देवी वगैरह की प्रति पेश कर कथन किया कि वाद वर्णित भूमि क्रय की गयी है लेकिन कोई भी विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में होने से तादीफ़ैसले वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वकील प्रार्थीया की बहस का जवाब देते हुए वकील अप्रार्थीगण ने जवाब टी.आई. में अंकित तथ्यों दोहरान करते हुए कथन किया कि गोदनामे के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है इसलिए सबसे पहले सक्षम न्यायालय से स्वय को वारिस डिक्लेयर करवाये जिसका श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी पक्ष के द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है वह वाद दायरी के बाद का बना हुआ है। अपनी बहस मे वकील अप्रार्थी ने जवाब के विशेष कथन की मद संख्या 03, 04 व 07 पर विशेष जोर देते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में फोटो प्रति बही लिखावट, राशनकार्ड, जमाबन्दी संवत 2069–72, वारिस प्रमाण पत्र गौरा देवी, मृत्यु प्रमाण पत्र गोरली, विद्युत विभाग की रसीद व विद्युत बिल प्रस्तुत की है। साथ ही अपनी बहस को बल देने के लिए 11 गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड, शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम बरसिंहवास स्थित वादग्रस्त आराजी में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2075–2078 अनुसार प्रार्थीया के पिता नारायण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज है। दोनों ही पक्षों की ओर से 10–10 गवाहान के शपथ पत्र पेश किये गये हैं। वादग्रस्त आराजी की गिरदावरियों में नारायण बतौर उप कृषक दर्ज है। वाद में घोषणा के बिन्दू बाद साक्ष्य निर्धारित होने हैं। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थीया के पक्ष में साबित होते हैं। अतः प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner